न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी:– अरूण कुमार जैन (आर.ए.एस.)
राजस्व मूल वाद संख्या:– 16 / 2015
जीसीएमएस नम्बर :–2015 / 00070

1. देवा पिता गोकल जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी, कारोईकलाँ, तहसील व जिला भीलवाडा ;राज०, मृतक के बजाय कायम मुकाम
   1/1 राजू लाल कुमावत पुत्र स्व० श्री देवा लाल कुमावत आयु 30 वर्ष निवासी. कुमावत मौहल्ला कारोई कलाँ तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
   1/2 नारायण लाल कुमावत पुत्र स्व० श्री देवा उर्फ देवी लाल कुमावत आयु 35 वर्ष निवासी कारोई कलॉ तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
   1/3 श्रीमती कमला देवी पत्नी स्व० श्री देवा लाल कुमावत आयु 62 वर्ष निवासी मन्दिर के पास कारोई खेड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
   1/4 कैलाश चन्द्र कुमावत पुत्र श्री देवा लाल कुमावत आयु 28 वर्ष निवासी. कारोई कलॉ तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
   1/5 प्रेमशंकर कुमावत पुत्र श्री देवा लाल कुमावत आयु 27 वर्ष निवासी. कारोई तहसील एवं जिला भीलवाड़ा

—वादीगण

–: बनाम :–

1. भैरू पिता सीताराम कुमावत आयु वयस्क जाति कुमावत निवासी कारोई कलाँ तहसील व जिला भीलवाडा ;राज० मृतक के बजाय.
   1/1. नारायण पुत्र स्व० श्री भैरू लाल कुमावत आयु वयस्क निवासी कारोई खेड़ा कारोई तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
   1/2. श्रीमती प्रेम पुत्री स्व० श्री भैरू लाल कुमावत पत्नी श्री रामचन्द्र कुमावत आयु वयस्क निवासी पेमलिया खेड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
   1/3. श्रीमती गीता पुत्री स्व० श्री भैरू लाल कुमावत पत्नी श्री लादू कुमावत आयु वयस्क निवासी लापलिया खेड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
   1/4. श्रीमती बाली पुत्री स्व० श्री भैरू लाल कुमावत पत्नी श्री गोकल कुमावत आयु वयस्क निवासी कारोई तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा
3. राजस्थान राज्य जरिये, उपपंजीयक, भीलवाडा

———प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा
अर्न्तगत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम, 1955

22/8/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

उपस्थित अधिवक्ता –

1. श्री उदय सिंह दरोगा वादीगण
2. श्री मांगीलाल सेन प्रतिवादीगण

–: निर्णय :–

दिनांक 22/8/2025

मूल वादी देवा पिता गोकल ने जरिये अधिवक्ता दिनांक 23.03.2015 को इस न्यायालय के समक्ष एक दावा बाबत घोषणा, दुरुस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया, जो दिनांक 23.03.2015 को वाद संख्या 16/2015 बउनवानी देवा बनाम भैरू वगैरह दर्ज रजिस्टर कर विधिक प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।

मूल वादी देवा ने अपने वाद पत्र में इस आशय का कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सख्या 01 की पैतृक कृषि आराजियात ग्राम कारोई कलां पटवार हल्का कारोई कलां, भू अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र पुर तहसील एव जिला भीलवाड़ा राजस्थान में स्थित है। जो कि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 01 भैरू पिता सीताराम के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज अंकित है। जिसके आराजी नम्बर निम्न प्रकार है कि

खाता संख्या
751 नया व
688 पुराना

आराजी संख्या	रकबा
2105	11 बिस्वा
2106	13 बिस्वा
2107	02 बीघा 04 बिस्वा
2499	10 बीघा 02 बिस्वा
3814	06 बिस्वा
3815	03 बीघा
3816	04 बिस्वा
3817	02 बीघा 06 बिस्वा
3618	05 बिस्वा
3819	17 बिस्वा
3854	03 बिस्वा
3856	18 बिस्वा
3857	01 बीघा
3858	07 बिस्वा

22/8/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

3859
कुल किता 16 11 बिस्वा
कुल रकबा 24 बीघा 07 बिस्वा

जिसके साबिक आराजी नम्बर 2141, 2145, 2142, 2144, 2450, 769, 768, 760, 763 है।

उक्त आराजियात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 की पैतृक होकर कब्जा काश्त की है। जिसमे वादी अपने हक हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है।

वाद पत्र की मद संख्या 2 में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के परिवार का सजरा दर्ज करते हुये कथन किया कि स्वश्री सीताराम जी घर के मुखिया थे। उन्होने गेन्दी जो कि वादी देवा की दादी थी, से विवाह किया। विवाह के समय गेन्दी ने अपने पुत्र गोकल जो कि देवा का पिता है, को साथ लेकर आयी थी और गोकल का पुत्र देवा वादी है तथा स्व. श्री सीताराम जी का एक अन्य पुत्र भैरू है जो कि प्रतिवादी संख्या 01 है।

स्व. श्री सीताराम जी ने वादी की दादी गेन्दी से विवाह किया। विवाह के समय गेन्दी अपने पुत्र गोकल को साथ लेकर आयी थी। गोकल वादी देवा का पिता है। उक्त विवाह के समय स्व. श्री सीताराम जी ने एक गौदनामा विक्रमी सम्वत 1993 वैशाख सुदी 04 को निष्पादित किया। जिसके अनुसार वादी के पिता गोकल को अपना दत्तक पुत्र लिया। इसके पश्चात वादी देवा का जन्म हुआ और वादी देवा 03 वर्ष का था तब वादी के पिता गोकल जी का देहान्त हो गया। इसी दरमियान वादी की दादी माँ गेन्दी एवं सीताराम जी के नुत्फे से प्रतिवादी भैरू का जन्म हुआ। जब सीताराम जी की मृत्यु हुई तब वादी की दादी माँ गेन्दी जीवित थी। इस प्रकार वादी का उक्त विवादित आराजियात मे हक हिस्सा निहित हो गया और उसी अनुसार वादी उक्त आराजी पर काबिज हो उपयोग उपभोग करने लगा। इसी दरमियान प्रतिवादी भैरू की नियत में बदनियति आ गई और उसने स्व. श्री सीताराम जी की जायदाद से वादी देवा को बेदखल करना चाहा। जिस पर वादी देवा व उसकी माता घीसी ने एक वादपत्र उपखण्ड अधिकारी महोदय, भीलवाड़ा के समक्ष पेश किये। जिसके प्रकरण संख्या 66/1967 राजस्व वाद दर्ज हुए और दिनांक 12-05-1970 को उक्त वाद डिक्री हुआ। जो कि वादी के पक्ष में डिक्री हुआ। जिसकी ईजराय भी पेश की परन्तु आज दिन तक उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के उक्त आदेश/निर्णय/डिक्री की पालना नहीं हो पाई। उक्त निर्णय एवं डिक्री की प्रमाणित प्रति वादपत्र के साथ पेश है। इस प्रकार वादी का उक्त आराजी जो कि स्व.श्री सीताराम जी की है में 1/2 हक हिस्सा निहित है। उसी अनुसार वादी उक्त आराजी पर काबिज होकर उपयोग

सहायक कलक्टर

उपभोग करता चला आ रहा है। उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरस्त कराने का अधिकारी है। जिसके लिए यह वादपत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

इसके पश्चात दिनांक 10.06.2014 को एक तहरीर प्रतिवादी भैरू के निर्देश में उसके पुत्र नारायण ने अन्य लोगो की उपस्थिति में निष्पादित की। जिसके अनुसार भी वादी देवा का उक्त विवादित आराजियात मे 1/2 हक हिस्सा होता है। उक्त तहरीर की प्रतिलिपी भी वादपत्र के साथ पेश है। जिस अनुसार भी वादी वादग्रस्त आराजी में 1/2 हक हिस्सा रखता है। और उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरुस्ती कराने का अधिकारी है।

दिनांक 10.06.2014 को निष्पादित तहरीर के निष्पादन के बावजुद भी प्रतिवादी संख्या 01 वादी देवा को अपने हक हिस्से अनुसार 1/2 हक हिस्सा देकर राजस्व रेकार्ड में दुरुस्ती के लिए तैयार नही हुआ। जिस पर प्रतिवादी भैरू से दिनांक 15.03.2014 को कई बार निवेदन किया लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 भैरू इस हेतु तैयार नहीं हुआ और कहने लगा कि उक्त आराजियात जो कि राजस्व रेकार्ड में मेरे नाम पर है वह मेरे हक हिस्से की नहीं होते हुए भी मैं उक्त आराजीयात को खुर्द बुर्द, विक्रय, हस्तान्तरित कर दूंगा और लाखो रूपये कमा लूंगा तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस पर वादी ने राजस्व रेकार्ड से नकले प्राप्त की और यह वादपत्र पेश करने की नौबत आयी।

उपरोक्त वर्णित कृषि आराजियात पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है परन्तु प्रतिवादी संख्या 01 के नाम पर गलत इन्द्राज हो जाने से प्रतिवादीगण सख्या 01 की नियत में फितुर उत्पन्न हो चुका है तथा प्रतिवादी उपरोक्त आराजियात के राजस्व रेकार्ड में अपना गलत नाम अंकित होने का दुरूपयोग करते हुए विवादग्रस्त आराजियात को किसी अन्य को रहन विकय, हस्तान्तरण कर देगें व आराजियात से वादी को बेदखल कर देगा तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी इस कारण वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है कि प्रतिवादीगण वादी को विवादग्रस्त आराजियात से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल नहीं करे व नहीं किसी अन्य से करावे व न ही वादग्रस्त आराजियात को किसी अन्य को रहन, विक्रय, हस्तान्तरण/ खुर्द बुर्द करे तथा वादी को अपने हक हिस्से का शान्तिपूर्वक ढंग से उपयोग उपभोग करने देवे तथा किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट न तो स्वयं पैदा करे व नहीं किसी अन्य से करावें।

वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजियात से प्रतिवादीगण संख्या 01 का नाम हटाया जाकर वादी एवं प्रतिवादी सख्या 01 के नाम पर 1/2, 1/2 हक हिस्सा राजस्व रेकार्ड में अंकित किया जाकर घोषणात्मक डिक्री बहक वादी विरूद प्रतिवादी संख्या 01 सादिर फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध बिनाय वाद दिनांक 15.03.2015 से उत्पन्न होकर निरन्तर रूप से जारी है।

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वादग्रस्त आराजियात सरहद कारोई कलां, तहसील व जिला भीलवाड़ा राजस्थान में स्थित होने से वादपत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान् को प्राप्त है, अतः वादपत्र न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश है।

उक्त मामले में प्रतिवादी संख्या 02 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा तथा प्रतिवादी संख्या 03 उपपंजीयक अधिकारी भीलवाड़ा को भी आवश्यक पक्षकार बनाया गया है और कानूनन राज्य सरकार के विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व उन्हे धारा 80 जा.दी. के तहत दो माह की समयावधि का नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेकिन मामला आवश्यक प्रकृति का है और वादी नोटिस देकर समयावधि व्यतीत होने तक इन्तजार करेगा तो इससे पूर्व ही प्रतिवादी सख्या 01 वादी को वादग्रस्त आराजियात से बेदखल कर देगें व खुर्द बुर्द कर देगें तो वादी का वाद पेश करना ही निरर्थक हो जायेगा। ऐसी सूरत में बिना नोटिस दिये ही वादपत्र पेश है व धारा 80(2) जा.दी. का प्रार्थनापत्र अलग से पेश है।

वाद निर्धारित न्याय शुल्क पर पेश है। वाद पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत है। वादपत्र की ताईद में वादी का शपथ पत्र पेश है। वादपत्र नियमानुसार दो प्रतियों में पेश है। प्रतिवादीगण को सूचनार्थ सम्मन प्रोसेस नकल वादपत्र साथ में पेश है।

अतः सादर प्रार्थना है कि वादी का वादपत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादपत्र की चरण संख्या 01 एक में वर्णित आराजियात के राजस्व रेकार्ड से प्रतिवादी संख्या 01 का नाम हटाया जाकर वादी एवं प्रतिवादी सख्या 01 के नाम पर बराबर बराबर राजस्व रेकार्ड में अभिलेखित किया जावे तद्नुसार घोषणात्मक डिक्री बहक वादी विरूद प्रतिवादीगण पारित फरमायी जाये।

बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 01 इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे कि प्रतिवादी संख्या 01 वादी को वादग्रस्त आराजियात से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल नहीं करे और न ही किसी अन्य से करावे तथा वादी को शान्तिपूर्वक ढंग से उपयोग उपभोग करने देवे व विवादग्रस्त आराजियात को किसी अन्य को रहन, विक्रय, हस्तान्तरण खुर्द बुर्द नहीं करें व न ही किसी अन्य से करावे।

हर्जा खर्चा मुकदमा मय मेहनताना वकील एवं अन्य जो भी अनुतोष जो माननीय न्यायायाल वादी के पक्ष में दिलाना उचित समझे प्रतिवादी से दिलाया जाये।

न्यायालय द्वारा दिनांक 23.03.2015 को वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये तलबाना करने के आदेश पारित किये गये। दिनांक 13.04.2015 को प्रतिवादी संख्या 1 स्वंय उपस्थित हुआ और आदेशिका पर अपनी उपस्थिति स्वरूप हस्ताक्षर किये। दिनांक 17.02.2021 को वकुलाय फरीकेन

2/8/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 1 को जवाब पेश करने हेतु अन्तिम अवसर दिया गया। दिनांक 29.04.2022 को प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान की ओर से प्रार्थना पत्र पेश किया कि प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु दिनांक 18.04.2021 को हो चुकी है जिनके वारिसान को रिकार्ड पर लेने का आवेदन पत्र वादी द्वारा 90 दिन व्यतीत होने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किया है इसलिये वाद पत्र स्वतः ही अबेट होकर निरस्त होने योग्य है, अतः प्रार्थना है कि उक्त वाद पत्र को अबेटमेन्ट के आधार पर खारिज फरमाया जावे। दिनांक 08.07.2022 को वकील वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के कायम मुकाम प्रार्थना पत्र आवश्यक रूप से पेश करने की हिदायत दी गई। दिनांक 18.11.2022 को वादी की ओर से कायम मुकाम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व धारा 9 व 151 जा0दी0 तथा प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम पेश किया गया तथा सूची दस्तावेज पेश किया गया। दिनांक 19.07.2024 को प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 22 नियम 4 व धारा 9 एवं 151 जा0दी0 पर बहस सुनी गई और मृतक के वारिसान पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 22 नियम 4 व धारा 9 एवं 151 जा0दी0 तथा प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार किये गये। वादी अधिवक्ता ने संशोधित उनवान पेश किया जो शामिल मिसल है। दिनांक 04.10.2024 को प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/5 ने जरिये अधिवक्ता जवाबदावा पेश किया जो शामिल मिसल है। संशोधित उनवान के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/4 ही मृतक प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान अभिलेख पर लिये गये थे परन्तु जवाबदावा में प्रतिवादिया संख्या 1/5 के रूप में झड़ाई पत्नि भैरूलाल के हस्ताक्षर भी करवाये गये है जबकि प्रतिवादी संख्या 1/5 झड़ाई पत्नि भैरूलाल वाद पत्र में पक्षकार संयोजित नहीं होने के कारण प्रस्तुत जवाबदावा को 1/1 लगायत 1/4 की तरफ से पढा जायेगा और प्रतिवादी संख्या 1/5 की तरफ से जवाबदावा नहीं पढा जायेगा।

प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/4 ने अपने जवाबदावा में इस आशय का कथन किया कि वादपत्र की चरण संख्या 01 का जवाब इस प्रकार है कि इस कलम में वर्णित कृषि भूमि कारोईकलां में स्थित होना स्वीकार है उक्त भूमि में प्रार्थी का कोई हक अधिकार व हिस्सा नहीं है बल्कि जवाबदार विपक्षी भेरू पिता सीताराम कुमावत के हक अधिकार व स्वामित्व की है जो कि विपक्षी के नाम पर अपने पिता सीताराम जी की मृत्यु के पश्चात विरासत के जरिए प्राप्त हुई चुकि सीताराम जी के एक मात्र पुत्र भैरू ही है इसलिए पटवारी हल्का व ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत जांच कर विरासत का नामान्तकरण खोला जाकर स्वीकृत किया व राजस्व रेकॉर्ड में भूमि विपक्षी संख्या 01 एक भैरू पिता सीताराम कुमावत के नाम पर खातेदारी अधिकार के रूप में दर्ज हुई जिससे उक्त भूमि का विपक्षी भैरू की मृत्यु के पश्चात् विरासत से जवाबदारान प्रतिवादी के नाम पर हिस्सा निहित हुआ है ऐसी स्थिति मे प्रतिवादीगण स्वतः ही रेकॉर्डेड खातेदार है वादी अपने पिता गोकल को सीताराम का गोदपुत्र

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

बताकर हिस्सा प्राप्त करना चाहता है जबकि सीताराम के भेरू पुत्र पहले ही है ऐसी स्थिति में वादी प्रार्थी ने गलत तथ्यो को आधार बनाकर वाद प्रस्तुत किया है उसके साथ ही यह 212 रा०टि०एक्ट का आवेदन प्रस्तुत किया जो खारीज होने लायक है।

वादपत्र पत्र की कलम संख्या 03 गलत होकर अस्वीकार है वादी ने गलत सजरा प्रस्तुत किया है इसके अतिरिक्त इस कलम में शेष तथ्य जो अंकित किये है व गलत है।

वादपत्र की कलम संख्या 03 का जवाब इस प्रकार है कि प्रार्थी देवा के पिता गोकल सीताराम जी की नातायत पत्नि गेन्दी के पूर्व पति की सन्तान थी जो कि नातायत पत्नि गेन्दी के पूर्व पति की सन्तान थी जो कि के लिए आता जाता था सीताराम जी ने गोकल को कभी गोद नहीं लिया क्योंकि गोकल सीताराम जी के वंशज का नहीं था इसलिए गोद लिया ही नहीं जा सकता है सीताराम जी के पुत्र भेरू का जन्म हो गया था इसलिए गोकल को गोद लेने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है गोकल को सीताराम जी ने कभी भी गोद नहीं लिया वादी प्रार्थी की खातेदारी भूमि को हडप करना चाहता है इसलिए अपने पिता गोकल को गोद बताकर हिस्सा लेना चाह रहा जबकि गोकल ने अपने जीवनकाल में गोद के आधार पर कोई मांग नहीं की इसके अलावा उपखण्ड अधिकारी के वहां दावा पेश कर दिनांक 12/05/1970 डिक्री होना बताया है जिसकी पालना नहीं होने से तथा डिक्री भी गलत व अवैध होने से स्वतः निष्प्रभावी है उक्त निर्णय व डिक्री के बाबत कोई रिकोर्ड ही विपक्षी को प्राप्त नहीं हुआ जिससे भी उक्त डिक्री की प्रति फर्जी प्रतित होती है जिसके आधार पर कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है।

वादपत्र की कलम नम्बर 04 गलत होकर अस्वीकार है। वादपत्र पत्र की कलम नम्बर 05 गलत होकर अस्वीकार है। वादपत्र की कलम नम्बर 06 गलत होकर अस्वीकार है।

विशेष कथन किया कि– प्रस्तुत वादपत्र वादीगण के पिता गोकल जी की माता गेन्दी का विवाह पहले ग्राम बनाकिया हुआ जिसके पति का नाम पारू था गोकल की पत्नि घीसी थी घीसी पत्नि गोकल का पुत्र देवा है गोदनामा की लिखापढी व दस्तावेज नहीं है सर्वप्रथम तो यह है कि गोकल को सीताराम जी ने अपने जीवनकाल में गोद नहीं लिया व गोद लिया ही नहीं जा सकता है गोकल सीताराम जी के वंश का नहीं था वह तो गैलड था गैलड यानि गेन्दी के पूर्व के पति पारू जी की सन्तान थी जो कि गेन्दी के साथ गैलड आया था जिसका केवल अपने जन्मदाता पिता की सम्पति में अधिकार होता है जो उसे बनाकिया में अपने पिता से प्राप्त होता हो गई जो बालिग होते ही वहां पर चला गया वही का सदस्य है इसलिए उसका आधिकार उसने प्राप्त कर लिया है ग्राम कारोईकंला की भूमि में कोई हक व अधिकार नहीं है अतः प्रार्थना पत्र खारीज होने लायक है।

वादीगण द्वारा राजस्व वाद को डिक्री होना बताया जा रहा है जबकि जिला रेकॉर्ड मे उक्त डिक्री का कोई रेकॉर्ड ही नहीं है व मुकदमा दर्ज होकर निर्णित हो, इसका कोई रेकॉर्ड उपलब्ध नही है अतः इन्द्राज नहीं होने से उक्त डिक्री फर्जी प्रतीत होती है अतः इस आधार पर प्रार्थना पत्र खारीज होने योग्य है।

22/9/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

अतः प्रार्थना है कि प्रतिवादी संख्या 01 एक के कायम मुकाम 1/1 से 1/5 का जवाब रेकॉर्ड पर लिया जाकर वाद पत्र खारीज किया जावे।

प्रतिवादीगण की ओर से अपने जवाबदावा का सत्यापन किया तथा जवाबदावा की ताईद में शपथ पत्र पेश किया।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अभिवचनो के आधार पर दिनांक 03.11.2024 को निम्नलिखित तनकीयात कायम की गई–

1. आया वादी वादग्रस्त भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्से में से बराबर का हकदार होकर खातेदार काश्तकार घोषित होने का अधिकारी है?

2. आया वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे? –जिम्मे वादी

3. आया वादी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा में दायर वाद संख्या 66/67 निर्णय दिनांक 12.05.1970 के अनुसार वादग्रस्त भूमि में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है? –जिम्मे वादी

4. आया वादी प्रतिवादी के पिता सीताराम का गोद पुत्र नहीं होने से वादग्रस्त भूमि में कोई अधिकार हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है? –जिम्मे प्रतिवादी

5. दादरसी।

दिनांक 02.01.2025 को वादीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 14 जा0दी0 पेश किया। प्रतिवादी अधिवक्ता ने जवाब पेश न कर सीधे बहस करने का निवेदन किया। उभय पक्षकारान् की बहस सुनी गई। आदेश दिनांक 02.01.2025 पारित कर उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् को अभिलेख पर लेने के आदेश पारित किये गये।

वादीगण की ओर से **मौखिक साक्ष्य में पी0डब्ल्यु–1** के रूप में राजूलाल कुमावत पुत्र स्व0 देवालाल कुमावत का शपथ पत्र बतौर साक्ष्य प्रस्तुत कर उक्त गवाह को परीक्षित करवाया गया तथा उदा कुमावत पुत्र रामनारायण कुमावत का शपथ पत्र बतौर गवाह पेश कर उक्त गवाह को परीक्षित करवाया गया तथा **दस्तावेजी साक्ष्य में** निम्नलिखित दस्तावेजात् को प्रदर्शित करवाया गया–

प्रदर्श–1 असल निर्णय प्रकरण संख्या 66/1967 एस.डी.एम. कोर्ट भीलवाड़ा निर्णय दिनांक 12.05.1970
प्रदर्श–2 निर्णय दिनांक 12.05.1970 की डिक्री
प्रदर्श–3 प्रार्थी के दादा गोकल को सीताराम के गोद रखने के स्टाम्प पर लिखावट
प्रदर्श–4 प्रार्थी के दादा गोकल को सीताराम के गोद रखने के स्टाम्प की लिखावट का हिन्दी अनुवाद

22/8/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रदर्श–5 चालू जमाबन्दी संवत् 2073–2076 की नकल
प्रदर्श–6 जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 की नकल
प्रदर्श–7 मिलान खसरे की नकले
प्रदर्श–8 जिला अभिलेखागार से जारी नकल न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा से बटवारा की डिक्री बाबत् दाखिल दफ्तर की नकल
प्रदर्श–9ए मूल वादी देवा के पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोप्रति।

दिनांक 16.01.2025 को वादी द्वारा अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने से इन्कार करने पर वादी की साक्ष्य बन्द की गई और आगामी पेशी वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी में नियत की की गई।

दिनांक 12.03.2025 को प्रतिवादी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल है। दिनांक 20.03.2025 को वादी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 का जवाब पेश किया जो शामिल मिसल है। दिनांक 03.04.2025 को प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 पर उभय पक्षकारान् की बहस सुनी गई। आदेश दिनांक 01.05.2025 पारित कर प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 अस्वीकार कर खारिज किया गया। दिनांक 12.05.2025 को प्रतिवादी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 8 नियम 1(3) जा0दी0 पेश किया जो शामिल मिसल है। दिनांक 19.05.2025 को वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 8 नियम 1(3) सी0पी0सी0 स्वीकार करने हेतु अनापत्ति दी गई। आदेश दिनांक 19.05.2025 पारित कर न्यायहित में उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया तथा प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात् को अभिलेख पर लेने की अनुमति दी गई और पत्रावली में आगामी पेशी वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी हेतु नियत की गई। दिनांक 06.06.2025 को प्रतिवादी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 8 नियम 1(3) जा0दी0 व धारा 151 जा0दी0 पेश किया। वादी अधिवक्ता को उक्त प्रार्थना पत्र की नकल दिलाई गई। वादी अधिवक्ता ने जवाब पेश न करके सीधे बहस करने हेतु निवेदन किया। उभय पक्षकारान् की बहस सुनी गई। आदेश दिनांक 06.06.2025 को पारित कर उक्त प्रार्थना पत्र 500/– रूपये की कोस्ट पर स्वीकार किया गया।

प्रतिवादीगण की ओर से **मौखिक साक्ष्य में डी0डब्ल्यु–1** नारायण पुत्र भैरू, **डी0डब्ल्यु–2** प्रेम पुत्री स्व0 भैरू, **डी0डब्ल्यु–3** श्रीमती गीता पुत्री स्व0 भैरू के शपथ पत्र बतौर साक्षी प्रस्तुत किये गये तथा उक्त गवाहान को परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में निम्नलिखित दस्तावेजात् प्रदर्शित करवाये गये–

प्रदर्श डी–1 जमाबन्दी महकमा बंदोबस्त जागीरात राज्य उदयपुर मेवाड़ की नकल।
प्रदर्श डी–2 जमाबन्दी संवत् 2016 से 2019 की नकल।
प्रदर्श डी–3 खसरा गिरदावरी संवत् 2019
प्रदर्श डी–4 आज्ञा पत्र भू–प्रबन्ध विभाग राजस्थान न्यायालय ए.आर.ओ.प्रथम की प्रमाणित प्रतिलिपि।
प्रदर्श डी–5 सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, उदयपुर के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि।
प्रदर्श डी–6 बयान गवाह न्यायालय ए.आर.ओ. प्रथम बनाकीया खुर्द शपथकर्ता घीसी पुत्र गोकल की प्रमाणित प्रतिलिपि।

22/8/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रदर्श डी–7 शपथ पत्र शपथकर्ता धीरी की प्रमाणित प्रतिलिपि।
प्रदर्श डी–7 (पुनः) प्रतिलिपियां प्राप्त करने के लिए आवेदन की प्रमाणित प्रतिलिपि।
प्रदर्श डी–8 रिकार्ड रिपोर्ट ग्राम बनाकीया खुर्द की प्रमाणित प्रतिलिपि।

दिनांक 01.07.2025 को प्रतिवादी द्वारा अन्य साक्ष्य पेश करने से इन्कार करने पर प्रतिवादी की साक्ष्य बन्द की गई। पत्रावली में आगामी पेशी वास्ते अन्तिम बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान् अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक वादीगण ने अपने वाद पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि वाद पत्र में वर्णित तथ्यो, मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यो के आधार पर तनकी नम्बर 1 लगायत 4 वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध साबित है, इत्यादि तर्को के आधार पर वादीगण का वाद पत्र बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया गया। विद्वान अभिभाषक वादीगण द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई। विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण ने वादीगण के विद्वान अभिभाषक के तर्को का पुरजोर विरोध करते हुए, अपने जवाबदावा में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि जवाबदावा में वर्णित तथ्यो, मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यो के आधार पर तनकी नम्बर 1 लगायतत 4 वादीगण के विरूद्ध व प्रतिवादीगण के पक्ष में साबित है, इत्यादि तर्को के आधार पर वादीगण का दावा मय हर्जा खर्चा खारिज करने हेतु निवेदन किया गया। विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण द्वारा लिखित बहस मय न्यायिक दृष्टान्त भी प्रस्तुत किये गये।

उभय पक्षकारान् अधिवक्तागण की बहस पर चिन्तन, मनन व विचार किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन व अध्ययन किया। तनकीवार विवेचन व विश्लेषण किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

तनकी नम्बर–1 आया वादी वादग्रस्त भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्से में से बराबर का हकदार होकर खातेदार काश्तकार घोषित होने का अधिकारी है? इस तनकी को साबित करने का भार वादी के जिम्मे रखा गया है। **तनकी नम्बर–4** आया वादी प्रतिवादी के पिता सीताराम का गोद पुत्र नहीं होने से वादग्रस्त भूमि में कोई अधिकार हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है? इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण के जिम्मे रखा गया है।

उक्त तनकीयात परस्पर एक–दूसरे के विपरीत है। तथ्यो की पुनरावृति पर अंकुश लगाने के आशय से उक्त तनकीयात को एकसाथ निर्णीत किया जा रहा है।

तनकी नम्बर–1 के संबंध में वादीगण ने अपने वाद पत्र में इस आशय का कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सख्या 01 की पैतृक कृषि आराजियात वाके ग्राम कारोई कलां पटवार हल्का कारोई कलां, भू अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा राजस्थान में स्थित है। जो कि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 01 भैरू पिता सीताराम के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज अंकित है। वाद पत्र की मद संख्या 1 में आराजीयात का विवरण दर्ज करते हुए

22/8/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

कथन किया कि वाद पत्र में वर्णित आराजीयात कुल किता 16 कुल रकबा 07 बीघा 07 बिस्वा के साबिक आराजी नम्बर 2141, 2145, 2142, 2144, 2450, 769, 768, 760, 763 है। उक्त आराजियात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 की पैतृक होकर कब्जा काश्त की है। जिसमे वादी अपने हक हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है। वाद पत्र की मद संख्या 2 में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के परिवार का सजरा दर्ज करते हुए कथन किया कि स्व.श्री सीताराम जी घर के मुखिया थे। उन्होने गेन्दी जो कि वादी देवा की दादी थी, से विवाह किया। विवाह के समय गेन्दी ने अपने पुत्र गोकल जो कि देवा का पिता है, को साथ लेकर आयी थी और गौकल का पुत्र देवा वादी है तथा स्व.श्री सीताराम जी का एक अन्य पुत्र भैरू है जो कि प्रतिवादी संख्या 01 है। स्व. श्री सीताराम जी ने वादी की दादी गेन्दी से विवाह किया। विवाह के समय गेन्दी अपने पुत्र गोकल को साथ लेकर आयी थी। गोकल वादी देवा का पिता है। उक्त विवाह के समय स्व.श्री सीताराम जी ने एक गौदनामा विक्रमी सम्वत 1993 वैशाख सुदी 04 को निष्पादित किया। जिसके अनुसार वादी के पिता गोकल को अपना दत्तक पुत्र लिया। इसके पश्चात वादी देवा का जन्म हुआ और वादी देवा 03 वर्ष का था तब वादी के पिता गोकल जी का देहान्त हो गया। इसी दरमियान वादी की दादी माँ गेन्दी एवं सीताराम जी के नुत्फे से प्रतिवादी भैरू का जन्म हुआ। जब सीताराम जी की मृत्यु हुई तब वादी की दादी माँ गेन्दी जीवित थी। इस प्रकार वादी का उक्त विवादित आराजियात मे हक हिस्सा निहित हो गया और उसी अनुसार वादी उक्त आराजी पर काबिज हो उपयोग उपभोग करने लगा। इस प्रकार वादी का उक्त आराजी जो कि स्व.श्री सीताराम जी की है. में 1/2 एक/दौ हक हिस्सा निहित है। उसी अनुसार वादी उक्त आराजी पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरस्त कराने का अधिकारी है। जिसके लिए यह वादपत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। इसके पश्चात दिनांक 10.06.2014 को एक तहरीर प्रतिवादी भैरू के निर्देश में उसके पुत्र नारायण ने अन्य लोगो की उपस्थिति में निष्पादित की। जिसके अनुसार भी वादी देवा का उक्त विवादित आराजियात मे 1/2 हक हिस्सा होता है। उक्त तहरीर की प्रतिलिपी भी वादपत्र के साथ पेश है। जिस अनुसार भी वादी वादग्रस्त आराजी में 1/2 हक हिस्सा रखता है। और उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरस्त कराने का अधिकारी है। दिनांक 10.06.2014 को निष्पादित तहरीर के निष्पादन के बावजुद भी प्रतिवादी संख्या 01 वादी देवा को अपने हक हिस्से अनुसार 1/2 हक हिस्सा देकर राजस्व रेकार्ड में दुरस्ती के लिए तैयार नही हुआ। जिस पर प्रतिवादी भैरू से दिनांक 15.03.2014 को कई बार निवेदन किया लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 भैरू इस हेतु तैयार नहीं हुआ और कहने लगा कि उक्त आराजियात जो कि राजस्व रेकार्ड में मेरे नाम पर है वह मेरे हक हिस्से की नहीं होते हुए भी मैं उक्त आराजीयात को खुर्द बुर्द, विक्रय, हस्तान्तरित कर दूंगा और लाखो रूपये कमा लूंगा तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़

2/8/2025
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

सकता। वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजियात से प्रतिवादीगण संख्या 01 का नाम हटाया जाकर वादी एवं प्रतिवादी सख्या 01 के नाम पर 1/2, 1/2 हक हिस्सा राजस्व रेकार्ड में अंकित किया जाकर घोषणात्मक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 सादिर फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

वादीगण के वाद पत्र में वर्णित उक्त तथ्यो के खण्डन में तथा तनकी नम्बर 4 के संबंध में प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/4 ने अपने जवाबदावा में तथ्य दर्ज किये कि– उक्त भूमि में प्रार्थी/वादी का कोई हक अधिकार व हिस्सा नहीं है बल्कि जवाबदार विपक्षी भेरू पिता सीताराम कुमावत के हक अधिकार व स्वामित्व की है जो कि विपक्षी के नाम पर अपने पिता सीताराम जी की मृत्यु के पश्चात विरासत के जरिए प्राप्त हुई चुकि सीताराम जी के एक मात्र पुत्र भैरू ही है इसलिए पटवारी हल्का व ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत जांच कर विरासत का नामान्तकरण खोला जाकर स्वीकृत किया व राजस्व रेकॉर्ड में भूमि विपक्षी संख्या 01 एक भैरू पिता सीताराम कुमावत के नाम पर खातेदारी अधिकार के रूप में दर्ज हुई जिससे उक्त भूमि का विपक्षी भैरू की मृत्यु के पश्चात् विरासत से जवाबदारान प्रतिवादी के नाम पर हिस्सा निहित हुआ है ऐसी स्थिति ने स्वतः ही रिर्कोडेड खातेदार है वादी अपने पिता गोकल को सीताराम का गोदपुत्र बताकर हिस्सा प्राप्त करना चाहता है जबकि सीताराम के भेरू पुत्र पहले ही है ऐसी स्थिति में वादी प्रार्थी ने गलत तथ्यो को आधार बनाकर वाद प्रस्तुत किया है। प्रार्थी देवा के पिता गोकल सीताराम जी की नातायत पत्नि गेन्दी के पूर्व पति की सन्तान थी जो कि नातायत पत्नि गेन्दी के पूर्व पति की सन्तान थी जो कि गोकल अपनी माता से मिलने के लिए आता जाता था सीताराम जी ने गोकल को कभी गोद नहीं लिया क्योंकि गोकल सीताराम जी के वंशज का नहीं था इसलिए गोद लिया ही नहीं जा सकता है सीताराम जी के पुत्र भेरू का जन्म हो गया था इसलिए गोकल को गोद लेने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है गोकल को सीताराम जी ने कभी भी गोद नहीं लिया वादी प्रार्थी की खातेदारी भूमि को हडप करना चाहता है इसलिए अपने पिता गोकल को गोद बताकर हिस्सा लेना चाह रहा जबकि गोकल ने अपने जीवनकाल में गोद के आधार पर कोई मांग नहीं की। विशेष कथन किया कि– प्रस्तुत वादपत्र वादीगण के पिता गोकल जी की माता गेन्दी का विवाह पहले ग्राम बनाकिया हुआ जिसमे पति का नाम पारू था गोकल की पत्नि घीसी थी घीसी पत्नि गोकल का पुत्र देवा है गोदनामा की लिखापढी व दस्तावेज नहीं है सर्वप्रथम तो यह है कि गोकल को सीताराम जी ने अपने जीवनकाल में गोद नहीं लिया व गोद लिया ही नहीं जा सकता है गोकल सीताराम जी के वंश का नहीं था वह तो गैलड था गैलड यानि गेन्दी के पूर्व के पति पारू जी की सन्तान थी जो कि गेन्दी के साथ गैलड आया था जिसका केवल अपने जन्मदाता पिता की सम्पति में अधिकार होता है जो उसे बनाकिया में अपने पिता से प्राप्त होता हो गई जो बालिग होते ही वहां पर चला गया वही का

22/8/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

सदस्य है इसलिए उसका आधिकार उसने प्राप्त कर लिया है ग्राम कारोईकला की भूमि में कोई हक व अधिकार नहीं है।

वाद पत्र के अवलोकन करने से यह प्रकट हुआ कि– मूल वादी देवा ने अपने आपको गोकल का पुत्र होने, गोकल की माता का नाम गेन्दीदेवी होने, गेन्दी के पति का नाम स्व. सीताराम होने, गेन्दी ने जब सीताराम के साथ नाता किया किया तब वह अपने साथ पूर्व पति के पुत्र गोकल को अपने साथ लेकर आना व सीताराम द्वारा गोकल को अपने दत्तक पुत्र के रूप में दत्तक ग्रहण करने, सीताराम का गोकल दत्तक पुत्र होने के आधार पर सीताराम का वारिस व उत्तराधिकारी होने व सीताराम की विरासत में गोकल का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा निहित होना अभिकथित किया गया है।

मूल प्रतिवादी देवा ने अपने जवाबदावा में गेन्दीदेवी को सीताराम की नातायत पत्नि होना स्वीकार किया है तथा वादी देवा के पिता गोकल को गैलड़ के रूप में गेन्दीदेवी के साथ आना स्वीकार किया है तथा गोकल को सीताराम का दत्तक पुत्र नहीं होना कथन करते हुए सीताराम की विरासत में गोकल का कोई हक व अधिकार नहीं होना अभिकथित किया है।

दस्तावेजी साक्ष्यो का अवलोकन करने से यह तथ्य प्रकट हुए कि– वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में **प्रदर्श–3** मूल वादी देवा के पिता गोकल अर्थात् वादी संख्या 1/1 लगायत 1/5 के दादा व दादी ससुर गोकल को सीताराम के गोद रखने बाबत् स्टाम्प पर लिखी हुई लिखावट एवं **प्रदर्श–4** गोकल को सीताराम के गोद रखने के स्टाम्प की लिखावट का हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत किया है। जिनका अवलोकन किया गया, जिसमें लिखा है कि–

सिद्ध श्री कुमावत हजारी जी रंगलाल जी सुत गोत पंजेरीवाल दरीबावाला सु कुमावत सीताराम पिथा जी सुत जात चोरमा कारोई वाला का राम राम बंचावसी अप्रंच म्हारा लड़का गोकल बनाकिया को लारे लायो सो गोत डीडवानिया मा.(मेरे) जोलिया राख्यो लड़की की सगाई करी लड़की घीसी सगाई करी सो लड़का ने परणायी जिणो म्हारी जमीन जगा चीज बसत आधी पाती कर दूंगा। ये अखर म्हारी राजी खुशी अकल हुस्यारी नसा पता बिना मान्ड दिनो सो साबत में बदलू तो श्री राज दरबार पंच पंचो में दिनो बुजग मो म मारा रामधरा मुझे सु श्री सम्वत् 1993 बैसाख सुदी चौथ गोपाल व सीताराम जी कुमावत कारोई वाला के साबु।

साख–1 गणेश जी कुमावत पिता गंगराम जी केसरपुरा वाला
सीताराम जी का केबासू
दः सीताराम दः मादु

वादी संख्या 1/1 राजूलाल कुमावत ने अपनी मौखिक साक्ष्य के शपथ पत्र में भी अपने वाद पत्र में वर्णित कथनो को दौहराते हुए जिरह में अभिकथित किया कि यह कहना सही है कि गेन्दी सीताराम जी की नातायत पत्नि है। यह कहना सही है कि गोकल गेन्दी के साथ गेलड़ के रूप में आया था। गेन्दी का पहले ससुराल बनाक्या था। गोकल के पिता की मृत्यु होने के बाद गोकल कारोई अपनी मॉ के साथ आया था। ये कहना गलत है कि गोकल एकबार कारोई आने के बाद

सहायक कलक्टर

आपस बनाक्या गया हो। यह कहना गलत है कि गेन्दी के विवाह से पूर्व सीताराम के कोई औलाद हो। बाद में भैरू के माता पिता गेन्दी और सीताराम है। मेरे द्वारा पेश किया गया स्टाम्प (प्रदर्श पी–3) गोकल के पक्ष में लिखा था। ये स्टाम्प स्व. सीताराम ने गोकल के पक्ष में लिखा गया था। गोकल सीताराम के गोत्र का नहीं है परन्तु गोद लेने से वंशज है। प्रदर्श–3 पर प्रस्तुत दस्तावेज गोदनामा है। जिसको तत्समय पंजीकृत नहीं कराया गया था और बाद में भी रजिस्टर्ड नहीं कराया था। वादग्रस्त भूमि पहले सीताराम जी के नाम थी। वर्तमान में भैरू पिता सीताराम के नाम दर्ज है। गोकल जी मृत्यु हुए साठ पैंसठ वर्ष हो गये है। यह कहना गलत है कि मेरे पिताजी गोकल जी ने बनाक्या में कोई हिस्सा लिया हो अथवा हिस्सा लेकर बेचान किया हो।

उक्त वर्णित जिरह का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि वादी संख्या 1/1 से जिरह में पूँछे गये प्रश्नो के उत्तर से भी वाद पत्र में वर्णित तथ्यो की ताईद होती है।

वादीगण की ओर से प्रस्तुत गवाह उदा कुमावत पुत्र रामनारायण कुमावत ने बतौर साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत कर वादी के वाद पत्र में वर्णित तथ्यो की ताईद की गई है और बयान दिया कि– मैं वादी–प्रतिवादीगण को जानता हूँ। सीताराम जी गेन्दी को नाते लाये थे। उनके साथ में गोकल साथ में आया था और सीताराम जी के जायन्दा औलाद नहीं होने से गोकल जी को गोद रखा था और शादी भी सीताराम जी ने करवाई थी। घीसीदेवी गोकल जी को शादी की जिससे देवा जी पैदा हुए थे जो मेरे पिताजी के सगे बुआ है। जमीन वर्तमान में 24 बीघा 7 बिस्वा है। जिसमें वादी–प्रतिवादी दोनो 1/2–1/2 हक हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। गॉव वाले इक्कठा होकर स्टाम्प मडवाये फिर भी वादीगण के नाम नहीं करवा रहा है। ये शपथ पत्र पेश कर रहा हूँ एवं बयान दे रहा हूँ। जिरह में कथन किया कि ये कहना गलत है कि वादग्रस्त भूमि को अकेला भैरू काश्त कर रहा है। अजखुद कहा कि देवा के वारिस भी वादग्रस्त भूमि में से आधी भूमि काश्त कर रहे है। गॉव के मोतबिरानो के समक्ष भैरू ने लिखापढी की थी, भैरू देवा का हिस्सा देवा के नाम करा देगा। इस लिखापढी में मैं शामिल था। ये कहना सही है कि सीताराम जी के नाते पत्नि गेन्दी बाई के साथ गेलड़ के रूप में आया था। अजखुद कहा कि भैरू का जन्म उसके बाद में हुआ। ये कहना गलत है कि मैं गोकल का रिश्तेदार होने से झूठे बयान दे रहा हूँ।

उक्त गवाह उदा कुमावत ने भी वादी के वाद पत्र में वर्णित तथ्यो की ताईद की है।

प्रतिवादीगण की ओर से वादीगण के उक्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 3 व 4 के खण्डन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है। मौखिक साक्ष्य में डी.डब्ल्यु–1 नारायण पुत्र भैरू ने जिरह में कथन किया कि–ये कहना सही है कि वादग्रस्त भूमि सीताराम जी को जरिये विरासत प्राप्त हुई थी। ये कहना गलत है कि देवा ने जो दावा बराबर हिस्सा प्राप्त करने के लिए पेश किया हो। अजखुद कहा कि देवा गैलड़ है। मेरे काका देवा ने ये दावा जब पेश किया तब मुझे जानकारी हुई। मेरे पिता की मृत्यु दिनांक 18.04.2021 को हो गई थी। ये कहना गलत है कि मेरे पिता ने जानकारी होने के बावजूद भी हिस्सा नहीं देने की नियत

21/8/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

से जवाब पेश नहीं किया हो। अजखुद कहा कि गोकल गोलड सन्तान थी। ये कहना गलत है कि भैरू जी ने बदनियति से जवाब पेश नहीं किया था। अजखुद कहा कि गोकल जी बनाकिया चले गये थे और अपने मूल पिता के हिस्से की जमीन से हिस्सा लिया था। ये कहना सही है कि हमने ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर पेश नहीं किया है। ये कहना सही है कि जब जमीन भैरू जी के नाम विरासत आई थी तब मेरा जन्म नहीं हुआ था। यह कहना सही है कि गेन्दी और सीताराम जी के नाते विवाह के समय गोकल जी साथ आये थे। ये कहना सही है कि भैरूजी गेन्दी व सीताराम के नुत्फे से पैदा हुए थे। अज खुद कहा कि गोकल जी विवाह के समय साथ आये थे। **गोदनामा प्रदर्श 3 पर सीताराम जी के हस्ताक्षर है अथवा नहीं, ये मैं नहीं कहा सकता हूँ। प्रदर्श 4 पर प्रस्तुत गोदनामा की लिखावट की जानकारी मुझे नहीं है।** गोकल जी का विवाह धीसीदेवी से सीताराम जी व गेन्दी ने कराया हो, इनकी मुझे जानकारी नहीं है। ये कहना सही है कि शपथपत्र की कलम संख्या 2 में विवादित भूमि ही लिखी गई है। आराजी नम्बर नहीं लिखी है। ये कहना सही है कि शपथ पत्र के कलम नम्बर 2 में "एक्स टू वाई" मेरी निजी जानकारी अनुसार सही है। शपथ पत्र में गलत लिखा गया हो, ये कहना गलत है। शपथपत्र की कलम नम्बर–2 इस प्रकार वर्णित है– **"विवादित भूमि भैरू पिता सीताराम जी कुमावत के नाम पर दर्ज है जो कि विरासत से मुझ शपथकर्ता पुत्र नारायण, पत्नि जड़ाई, पुत्री प्रेम, बाली, गीता के हक अधिकार की होकर कब्जे काश्त की है जिसमें प्रतिवादीगण का कोई हक व अधिकार नहीं है।"** आगे कथन किया कि गोकल का जन्म गेन्दी व पारू के नुत्फे से हुआ हो, ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली में हमने पेश नहीं किया है। प्रदर्श–3 गोदनामा मेरी जानकारी में दावापेश करने पर आया था जो वर्ष 2015 में आया था। ये कहना सही है कि गोदनामा जानकारी में आने के बाद उसको झूठा घोषित कराने के लिए कोई दावा पेश किया हो। अजखुद कहा कि केवल यही दावा चल रहा है।

उक्त गवाह के बयानो से जवाबदावा के तथ्यो को कोई सम्बल प्राप्त नहीं होता है। उक्त गवाह प्रदर्श 3 व 4 का कोई खण्डन नहीं कर सका। उक्त गवाह ने अपने शपथ पत्र की मद संख्या 2 में यह स्वीकार किया कि विवादित भूमि में प्रतिवादीगण का कोई हक व अधिकार नहीं है। प्रकरण में विवाद केवल मात्र वादी द्वारा क्लेम किये गये 1/2 हिस्से का है। जिसमें उक्त गवाह प्रतिवादीगण का कोई हक व अधिकार नहीं होना स्वीकार करता है।

डी0डब्ल्यु–2 प्रेम पुत्री स्व0 भैरू ने जिरह में कथन किया कि– ये कहना सही है कि वादग्रस्त भूमि सीताराम जी की पुश्तैनी कृषि आराजीयात है। यह कहना सही है कि जब गेन्दी का विवाह सीताराम जी से हुआ था तब मेरा जन्म नहीं हुआ था। ये कहना सही है कि सीताराम ने गोदनामा कराया तब मेरा जन्म नहीं हुआ था। यह कहना सही है कि सीताराम ने जब गोकल का विवाह धीसीदेवी से कराया था तब भी मेरा जन्म नहीं हुआ था। ये कहना सही है कि मैनें मेरे पिताजी से गोकल के विवाह के बारे में सुना था। ये कहना सही है कि शपथ पत्र में जो गोदनामा कूटरचित होना लिखा है, के बारे में मैनें या नारायण ने कोई दावा पेश किया हो। ये कहना सही है कि बनाकिया में उन्हें कोई जमीन नहीं मिली हो। अजखुद कहा कि कारोई में मूंगफली का घाणा चलाते थे और बनाकिया

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

से कमाकर लाते थे। ये कहना सही है कि प्रदर्श डी–4 लगायत डी–6 किस जमीन के बारे में है। मुझे जानकारी नहीं है।

उक्त गवाह प्रेम भी प्रदर्श 3 व 4 का कोई खण्डन नहीं कर पाई है। इसी प्रकार डी0डब्ल्यु–3 गीता पुत्री स्व0 भैरू भी प्रदर्श 3 व 4 का कोई खण्डन नहीं कर पाई है।

वादीगण के वाद पत्र में वर्णित तथ्यो, मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यो से बखुबी प्रमाणित है कि गेन्दी ने सीताराम के साथ नाता विवाह किया था और अपने पूर्व पति से उत्पन्न पुत्र गोकल को अपने साथ लेकर आई थी, तत्समय ही सीताराम ने गोकल को दत्तक ग्रहण कर लिया था। प्रतिवादी संख्या 1 भैरू का जन्म गोकल को दत्तक ग्रहण करने के बाद में हुआ था। हिन्दु दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम, 1956 लागु व प्रभावी होने के पूर्व ही **सम्वत् 1993 बैसाख सुदी** चौथ को सीताराम ने गोकल को दत्तक ग्रहण कर लिया था जो प्रदर्श 3 व 4 से साबित है। हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण–पोषण अधिनियम, 1956 की **धारा 30** में प्रावधान स्थापित है कि व्यावृतियॉ– **इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई भी बात इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किए गए किसी भी दत्तक पर प्रभाव नहीं डालेगी तथा ऐसे किसी भी दत्तक की विधिमान्यता और प्रभाव का अवधारण ऐसे किया जायगा मानो यह अधिनियम पारित न किया गया हो।** उक्त अधिनियम धारा 30 में स्थापित विधिक प्रावधानो के तहत 1956 के पूर्व का दत्तक विधिमान्य होने के कारण वादी का पिता गोकल सजरा खानदान में वर्णित सीताराम का दत्तक पुत्र साबित है तथा विवादित भूमि में वादी दत्तक पुत्र होने के कारण सीताराम की विरासत में प्रतिवादी की भांति 1/2 हिस्से का हकदार व अधिकारी है। पत्रावली पर मौजूद राजस्व अभिलेखो में सीताराम की विरासत अकेले प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 का विवादित भूमि में 1/2 हिस्सा ही बनता है।

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर तनकी नम्बर 1 को वादीगण साबित करने में पूर्णतया सफल रहे है तथा तनकी नम्बर 4 को प्रतिवादीगण साबित करने में असफल रहे है। ऐसी स्थिति में तनकी नम्बर 1 व 4 वादी के पक्ष में व प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णीत की जाती है।

तनकी नम्बर 1 व 4 के निर्णय के आधार पर वादी विवादित भूमि के राजस्व अभिलेखो में इन्द्राज दुरूस्ती कराकर 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार की घोषणा कराने का विधिक रूप से अधिकारी है।

तनकी नम्बर–3 आया वादी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा में दायर वाद संख्या 66/67 निर्णय दिनांक 12.05.1970 के अनुसार वादग्रस्त भूमि में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है? इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी के जिम्मे रखा गया है। वादी ने **प्रदर्श–1** असल निर्णय प्रकरण संख्या 66/1967 एस.डी. एम. कोर्ट भीलवाड़ा निर्णय दिनांक 12.05.1970 तथा **प्रदर्श–2** निर्णय दिनांक 12.05. 1970 की डिक्री को प्रदर्शित करवाकर अपने वाद पत्र व मौखिक साक्ष्य के शपथ पत्र में इस आशय का कथन किया कि प्रतिवादी भैरू की नियत में बदनियति आ गई और उसने स्व.श्री सीताराम जी की जायदाद से वादी देवा को बेदखल करना चाहा। जिस

22/12/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

पर वादी देवा व उसकी माता धीसी ने एक वादपत्र उपखण्ड अधिकारी महोदय, भीलवाड़ा के समक्ष पेश किये। जिसके प्रकरण संख्या 66/1967 राजस्व वाद दर्ज हुए और दिनांक 12-05-1970 को उक्त वाद डिक्री हुआ। जो कि वादी के पक्ष में डिक्री हुआ। जिसकी ईजराय भी पेश की परन्तु आज दिन तक उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के उक्त आदेश/निर्णय/डिक्री की पालना नहीं हो पाई। उक्त निर्णय एवं डिक्री की प्रमाणित प्रति वादपत्र के साथ पेश है। इस प्रकार वादी का उक्त आराजी जो कि स्व.श्री सीताराम जी की है. में 1/2 एक/दो हक हिस्सा निहित है। उसी अनुसार वादी उक्त आराजी पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरस्त कराने का अधिकारी है।

वादी के वाद पत्र में वर्णित उक्त तथ्यो के संबंध में प्रतिवादी ने अपने जवाबदावा में इस आशय का कथन किया कि वादी ने उपखण्ड अधिकारी के वहां दावा पेश कर दिनांक 12/05/1970 डिक्री होना बताया है जिसकी पालना नहीं होने से तथा डिक्री भी गलत व अवैध होने से स्वतः निष्प्रभावी है उक्त निर्णय व डिक्री के बाबत कोई रेकॉर्ड ही विपक्षी को प्राप्त नहीं हुआ जिससे भी उक्त डिक्री की प्रति फर्जी प्रतित होती है जिसके आधार पर कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है। प्रतिवादी ने अपने उक्त कथनो की ताईद में प्रदर्श डी–7 प्रतिलिपियां प्राप्त करने के लिए आवेदन की प्रमाणित प्रतिलिपि को प्रदर्शित करवाया है।

न्यायालय की विनम्र राय में प्रदर्श 1 व 2 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा वाद संख्या 66/1967 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.05.1970 की प्रमाणित प्रतिलिपियां है। प्रतिवादी प्रदर्श डी–7 के आधार पर प्रदर्श 1 व 2 को नकार नहीं सकते। प्रदर्श 1 व 2 निर्णय व डिक्री के आधार पर भी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का विवादित में बराबर–बराबर हक–हिस्सा के अधिकारी तय हुए है। प्रतिवादी पक्ष तनकी नम्बर 3 को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। तनकी नम्बर 3 वादी के पक्ष में व प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णीत की जाती है।

तनकी नम्बर– 2 आया वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे? इस तनकी को साबित करने का भार वादी के जिम्मे रखा गया है। चूँकि तनकी नम्बर 1, 3 व 4 वादी के पक्ष में व प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णीत हुई है। वादी का विवादित भूमि में 1/2 हिस्सा कानूनी रूप से तय हुआ है तथा वादी को विवादित भूमि में 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। वादी ने अपने वाद पत्र में वर्णित तथ्यो व मौखिक साक्ष्यो से विवादित भूमि पर कब्जा काश्त होना प्रमाणित किया है। ऐसी स्थिति में तनकी नम्बर 2 वादी के पक्ष में निर्णीत की जाती है तथा प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की कोई दखलन्दाजी उत्पन्न न करे तथा न ही अपने परिवारजन, एजेण्ट, सर्वेण्ट, प्रतिनिधि इत्यादि से दखलन्दाजी करावे।

अतएव उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर तनकी नम्बर 1, 2, 3, 4 वादी के पक्ष में व प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णीत होने के कारण वादी का दावा बहक

22/8/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वादी विरूद्ध प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर इस आशय की घोषणात्मक डिक्री जारी की जाती है कि वाके ग्राम कारोई कलां पटवार हल्का कारोई कलां, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा राजस्थान की सरहद में स्थित निम्नलिखित आराजीयात कुल किता 16 कुल रकबा 24 बीघा 07 बिस्वा में वादी संख्या 1/1 लगायत 1/5 को संयुक्त रूप से 1/2 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/4 को संयुक्त रूप से 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तदनुसार राजस्व अभिलेखो में इन्द्राज दुरूस्त किये जाने के आदेश पारित किये जाते है।

विवरण आराजीयात

खाता संख्या
751 नया व
688 पुराना

आराजी संख्या	रकबा
2105	11 बिस्वा
2106	13 बिस्वा
2107	02 बीघा 04 बिस्वा
2499	10 बीघा 02 बिस्वा
3814	06 बिस्वा
3815	03 बीघा
3816	04 बिस्वा
3817	02 बीघा 06 बिस्वा
3618	05 बिस्वा
3819	17 बिस्वा
3854	03 बिस्वा
3856	18 बिस्वा
3857	01 बीघा
3858	07 बिस्वा
3859	11 बिस्वा
कुल किता 16	कुल रकबा 24 बीघा 07 बिस्वा

जिसके साबिक आराजी नम्बर 2141, 2145, 2142, 2144, 2450, 769, 768, 760, 763 है।

स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/4 वादीगण को उपरोक्त वर्णित आराजियात से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल नहीं करे और न ही किसी अन्य से करावे तथा वादी को शान्तिपूर्वक ढंग से उपयोग उपभोग करने देवे व विवादग्रस्त आराजियात को किसी अन्य को रहन, विक्रय, हस्तान्तरण खुरद बुर्द नहीं करें व न ही किसी अन्य से करावे।

22/8/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

तहसीलदार, भीलवाड़ा को राजस्व अभिलेखो में डिक्री की पालना में अमल दरामद करने के आदेश प्रदान किये जाते है। निर्णय व डिक्री की प्रतिलिपि के साथ तहसीलदार, भीलवाड़ा को तहरीर जारी हो। पक्षकारान खर्चा मुकदमा अपना–अपना वहन करे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22/8/2025 को सरे इजलास में सुनाया गया।

22/8/2025

अरूण कुमार जैन

सहायक कलक्टर

सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6–7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी:– अरूण कुमार जैन (आर.ए.एस.)

राजस्व मूल वाद संख्या:– 16 / 2015

जीसीएमएस नम्बर :–2015 / 00070

1. देवा पिता गोकल जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी, कारोईकलाँ, तहसील व जिला भीलवाडा ;राज०, मृतक के बजाय कायम मुकाम
   - 1/1 राजू लाल कुमावत पुत्र स्व० श्री देवा लाल कुमावत आयु 30 वर्ष निवासी. कुमावत मौहल्ला कारोई कलाँ तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
   - 1/2 नारायण लाल कुमावत पुत्र स्व० श्री देवा उर्फ देवी लाल कुमावत आयु 35 वर्ष निवासी कारोई कलॉ तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
   - 1/3 श्रीमती कमला देवी पत्नी स्व० श्री देवा लाल कुमावत आयु 62 वर्ष निवासी मन्दिर के पास कारोई खेड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
   - 1/4 कैलाश चन्द्र कुमावत पुत्र श्री देवा लाल कुमावत आयु 28 वर्ष निवासी. कारोई कलॉ तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
   - 1/5 प्रेमशंकर कुमावत पुत्र श्री देवा लाल कुमावत आयु 27 वर्ष निवासी. कारोई तहसील एवं जिला भीलवाड़ा

—वादीगण

–: बनाम :–

1. भैरू पिता सीताराम कुमावत आयु वयस्क जाति कुमावत निवासी कारोई कलाँ तहसील व जिला भीलवाडा ;राज० मृतक के बजाय.
   - 1/1. नारायण पुत्र स्व० श्री भैरू लाल कुमावत आयु वयस्क निवासी कारोई खेड़ा कारोई तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
   - 1/2. श्रीमती प्रेम पुत्री स्व० श्री भैरू लाल कुमावत पत्नी श्री रामचन्द्र कुमावत आयु वयस्क निवासी पेमलिया खेड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
   - 1/3. श्रीमती गीता पुत्री स्व० श्री भैरू लाल कुमावत पत्नी श्री लादू कुमावत आयु वयस्क निवासी लापलिया खेड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
   - 1/4. श्रीमती बाली पुत्री स्व० श्री भैरू लाल कुमावत पत्नी श्री गोकल कुमावत आयु वयस्क निवासी कारोई तहसील एवं जिला भीलवाड़ा

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा

राजस्थान राज्य जरिये, उपपंजीयक, भीलवाडा

——प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

22/8/2025

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

अर्न्तगत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कत्ताई रूबरू दावा व हाजिरी ——— मिनजानिब मुद्दई रूबरू ——— मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

अतएव उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर तनकी नम्बर 1, 2, 3, 4 वादी के पक्ष में व प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णीत होने के कारण वादी का दावा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर इस आशय की घोषणात्मक डिक्री जारी की जाती है कि वाके ग्राम कारोई कलां पटवार हल्का कारोई कलां, भू अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा राजस्थान की सरहद में स्थित निम्नलिखित आराजीयात कुल किता 16 कुल रकबा 24 बीघा 07 बिस्वा में वादी संख्या 1/1 लगायत 1/5 को संयुक्त रूप से 1/2 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/4 को संयुक्त रूप से 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तद्नुसार राजस्व अभिलेखो में इन्द्राज दुरूस्त किये जाने के आदेश पारित किये जाते है।

विवरण आराजीयात

खाता संख्या
751 नया व
688 पुराना

आराजी संख्या	रकबा
2105	11 बिस्वा
2106	13 बिस्वा
2107	02 बीघा 04 बिस्वा
2499	10 बीघा 02 बिस्वा
3814	06 बिस्वा
3815	03 बीघा
3816	04 बिस्वा
3817	02 बीघा 06 बिस्वा
3618	05 बिस्वा
3819	17 बिस्वा
3854	03 बिस्वा
3856	18 बिस्वा
3857	01 बीघा
3858	07 बिस्वा

22/8/2025
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

3859
कुल किता 16 11 बिस्वा
कुल रकबा 24 बीघा 07 बिस्वा

जिसके साबिक आराजी नम्बर 2141, 2145, 2142, 2144, 2450, 769, 768, 760, 763 है।

स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/4 वादीगण को उपरोक्त वर्णित आराजियात से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल नहीं करे और न ही किसी अन्य से करावे तथा वादी को शान्तिपूर्वक ढंग से उपयोग उपभोग करने देवे व विवादग्रस्त आराजियात को किसी अन्य को रहनए विक्रयए हस्तान्तरण खुर्द बुर्द नहीं करें व न ही किसी अन्य से करावे।

तहसीलदार, भीलवाड़ा को राजस्व अभिलेखो में डिक्री की पालना में अमल दरामद करने के आदेश प्रदान किये जाते है। निर्णय व डिक्री की प्रतिलिपि के साथ तहसीलदार, भीलवाड़ा को तहरीर जारी हो। पक्षकारान् खर्चा मुकदमा अपना–अपना वहन करे।

निज–शून्य– मुबलिग–शून्य– बाबत् –शून्य– खर्चा इस मुकदमा के मय सूद बशरह–शून्य–फीसदी सालाना/आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ––शून्य–– को अदा करे।

तब मेरे दस्तखत मुहर अदालत के आज दिनांक 22/8/2025 को जारी की गई।

मुहर

ओहदा

22/8/2025
अरूण कुमार जैन
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	—	—	स्टाम्प अर्जीदावा	—	—
स्टाम्प वकालतनामा	—	—	स्टाम्प वकालतनामा	—	—
स्टाम्प वजह सबूत	—	—	स्टाम्प वजह सबूत	—	—
महनताना वकील	—	—	महनताना वकील	—	—
खर्चा गवाहान	—	—	खर्चा गवाहान	—	—
फीस कमिशनर बाबत् इजराय	—	—	फीस कमिशनर बाबत् इजराय	—	—
हुक्मनामा	—	—	हुक्मनामा	—	—
मुतफरिक	—	—	मुतफरिक	—	—
मीजान	—	—	मिजान	—	—

मुहर

अरूण कुमार जैन
सहायक [illegible]
सहायक क[illegible], भीलवाड़ा